न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 213/2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

कन्हैयालाल पुत्र हेमराज जाति गुर्जर निवासी बींजाहेड़ा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़।

–अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 **LR Act** 1956

निर्णय

दिनांक 8/5/26

1. तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किये जाने पर कि आराजी हाल खसरा नम्बर 266 वाके मौजा बीजाहेड़ा तहसील कोटपूतली जिसके साबिक खसरा नम्बर 151 मिन वाके मौजा बीजाहेड़ा तहसील कोटपूतली की आराजी राजकीय सिवायचक/भूमि है, एवं भूमि की किस्म गै0 मु0 नदी है।
2. उपरोक्त आराजी को तत्कालिक राजस्व अधिकारी महोदय कोटपूतली के द्वारा विधि विरूद्व जाकर अप्रार्थीगण को उक्त गै0 मु0 नदी/नाला/तालाब की भूमि का आवंटन कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में भूमि को किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।
3. प्रार्थीगण को उक्त प्रकरण की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार हाल व साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने से हुई।
4. उपरोक्त भूमि आराजी गैर मुमकिन नदी/नाला/तालाब की भूमि है एवं जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक प्रदान नही दिये जा सकते है अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में दी गई खातेदारी कानूनन गलत हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं।
5. अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एलआर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 266 वाके मौजा बीजाहेड़ा तहसील कोटपूतली में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक/गै0मु0 नदी किये जाने के आदेश फरमावे।
6. प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.09.2015 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किये जाने का निर्णय लिया जाकर

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

माननीय राजस्व मण्डल में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 में आदेश पारित किये है कि मौका स्थिति की पूर्ण जॉच कर विस्तृत अभिशंषा के साथ रेफरेन्स प्रकरण बनाकर भिजवाये। माननीय राजस्व मण्डल से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेफरेन्स प्रकरण की पूर्ति हेतु पत्रावली को तहसीलदार को भिजवाई गई। पत्रावली वापस प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण की तामिल जरिये रजिस्डर्ड डाक से जारी की गई। अप्रार्थी बावजूद रजिस्डर्ड तामिल उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बीजाहेड़ा का खसरा नम्बर 266 रकबा 0.26 हेक्टयर किस्म जाव तृतीय राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबंदी में कन्हैयालाल पुत्र हेमराज गुर्जर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर की किस्म जमाबंदी सम्वत 2005 में नदी दर्ज रही है जिसका आवंटन अपार्थी को नियम विरूद्व तत्कालिक राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया जबकि धारा 16 आ.टी.एक्ट के तहत गैर मुमकिन नदी, नाला, तालाब आदि का कानूनन किसी दिगर को आवंटन नहीं किया जा सकता और ना ही इसका नियमन किया जाकर किसी को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। उक्त भूमि का हस्तान्तरण भी अवैध माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ राजस्थान में अपने निर्णय में यह स्पष्ट आदेश के साथ निर्देश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन या हस्तान्तरण अवैध है इन्हे निरस्त किया जाकर भूमि पूनः राजकीय खाते में पूर्व की भाँति यानि आवंटन से या नियमन से पूर्व की भाँति पुनः राजकीय खाते में गैर.मु. नदी, नाला दर्ज किया जावे। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में रेफरेन्स पेश किया गया है जिसे स्वीकार किया जावें।

7. पत्रावली पर उपलब्ध पुराने व वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी सम्वत 2005 के इंद्राजात तथा प्रार्थी सरकार के कथनो पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। ग्राम बीजाहेड़ा के खसरा नम्बर 266/0.26 किस्म जाव तृतीय राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दी में कन्हैयालाल पुत्र हेमराज के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 151 से बना है। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सम्वत् 2005 की जमाबन्दी मिसल में खसरा नम्बर 151 एवं 151 मिन एक ही खसरा नम्बर था ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 151 जिसका रकबा 29 बीघा 17 बिस्वा रहा है वह तत्समय गै0मु0 नदी किस्म की रही है तथा इस भूमि में अप्रार्थी को आवंटन किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये है जो प्रतिबंधित है। धारा 16 आर. टी. एक्ट के तहत गैर मु. नदी/नाले/जोहड़ आदि का कानूनन किसी भी दीगर को आवंटन/नियमन नही किया जा सकता न ही इसकी किसी दीगर को खातेदारी अधिकार दिये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने अब्दुल रहमान बनाम स्ट्रेट ऑफ राजस्थान में आदेश दिये है कि ऐसे सभी आवंटन/नियमन व खातेदारी जो दीगर को दी गई है उसे निरस्त की जाकर भूमि पुनः आवंटन/नियमन से पूर्व की स्थति बहाल की जावे। नदी, नाले कभी भी अपना रूख बदल सकते है इनके बहाल क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न होने से पर्यावरण पर तो विपरीत प्रभाव पड़ता हीं है साथ ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने तथा भारी जान माल की हानी होने का भी सदैव अन्देशा बना रहता है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अतः तमाम निवेचन के आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहससीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि 266/0.26 किस्म जाव तृतीय वाके ग्राम बीजाहेड़ा तहसील कोटपूतली की भूमि में अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर पुनः भूमि राजकीय खाते मे आवंटन नियमन से पूर्व की स्थति बहाल की जावें यानि भूमि राजकीय खाते मे गैर मु. सिवायचक नदी दर्ज करने एवं अप्रार्थीगण को हुये आवंटन को रदद करने की अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जावें। तहसीलदार कोटपूतली को आदेश दिये जाते है कि वह ऐसे समस्त परिर्वतनों की तीन–तीन प्रतिया तैयार कर वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 21/9/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)